4.6.18 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट मण्डावरा में पेश हुई। वादी नं. 1 व 2 उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार कस्बा उदयपुरवाटी के भूमि ख.नं. 2352, 2354, 2355, 2356, 2361, 2362, 3542/2360 3559/2357 किता 8 कुल रकबा 1.15 है. की खातेदारी मुरारीलाल विजेन्द्रकुमार पि. देवाराम प्रतिवादी नं. 1 व 2 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि गत ख.नं. 1689, 1686, 1687, व 1684 से बने हैं। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श-1 विक्रय पत्र दिनांक 30.10.87 के अनुसार विक्रेतागण मुरारीलाल एवं विजेन्द्रकुमार पुत्र देवकरण नांगलिया जाति महाजन द्वारा उपरोक्त वर्णित गत खनम्बर की भूमि क्रेता मालाराम हीराराम. भागमल पुत्रान लुणाराम एवं छोटूराम पुत्र लुणाराम माली नि० ढाणी व कुआं जगतसिंह वाली वार्ड न. 6 कस्बा उदयपुरवाटी को विक्रय कर दिया तथा भूमि के उपर का कब्जा दखलकार क्रेता को कब्जा संभला दिया जाना अंकित किया है। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 द्वारा जरिये रजि. विक्रय पत्र के अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण/पूर्वज को विक्रय किया जाना अंकित है इस प्रकार वादीगण क्रय तिथि से ही उक्त वर्णित क्रय शुदा भूमि के खातेदार टीनेन्ट हो जाते हैं। लेकिन राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में भी प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम चला आ रहा है तथा विक्रय पत्र के अनुसार वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज नहीं हुआ है उक्त विवेचन से वादीगण क्रय शुदा भूमि के खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

हीरालाल

भागमल

आदेश

वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री इस आशय की दी जाती है कि उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित वर्तमान भूमि ख.नं. 2352, 2354, 2355, 2356, 2361, 2362, 3542/2360 3559/2357 किता - 8 कुल रकबा 1.15 है. का वादीगण नं. 1 लगायत 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त वर्णित भूमि से प्रति. नं. 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दि. 4.6.18 को कैम्प कोर्ट मण्डावरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner